न्यूज़ टुडे

विश्व व्यापार रिपोर्ट, 2025 में AI के व्यापार और समावेशी विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया

यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने जारी की है। इस रिपोर्ट में **AI की रूपांतरणकारी क्षमता** को उजागर किया गया है, जो **सामान्य प्रयोजन वाली तकनीक के रूप में अर्थव्यवस्थाओं (देशों) में समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप** दे सकती है।

AI व्यापार और समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

- **व्यापार की लागत में कमी और उत्पादकता में सुधार करके:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर, विनियामक अनुपालन को सरल बनाकर, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करके और कॉन्ट्रैक्ट इंफोर्समेंट में सुधार करके **2040 तक वैश्विक व्यापार में 34-37% की वृद्धि** कर सकता है।
- **'स्किल प्रीमियम' को कम करके:** AI से मध्यम और उच्च-कौशल वाले कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी आने की उम्मीद है, जबकि निम्न-कौशल वाले कामगारों पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। इससे उच्च-कौशल युक्त श्रम की सापेक्ष मांग कम होगी।
  - **स्किल प्रीमियम:** यह उच्च कौशल और निम्न कौशल वाले कामगारों के वेतन का अनुपात होता है, जिसके वैश्विक स्तर पर **3-4% तक घटने** का अनुमान है।
- **ज्ञान का प्रसार:** जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के लिए अधिक खुली होती हैं, उनमें नवाचार का अधिक मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए- डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापार में **10% की वृद्धि से सीमा-पार AI पेटेंट के मामलों में 2.6% की वृद्धि** होती है।
- **विकास के नए पथ:** जिन अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण खनिज या नवीकरणीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हैं, वे **हार्डवेयर विनिर्माण, डेटा होस्टिंग और अन्य श्रम-प्रधान गतिविधियों जैसे डेटा संग्रहण एवं एनोटेशन के लिए हब** बन सकती हैं।

इससे संबंधित ऐसी चिंताएं जो तत्काल नीतिगत कार्रवाई की मांग करती हैं

- **AI का संकेंद्रण:** AI के विकास पर कुछ ही कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं का प्रभुत्व है, जिससे इसकी न्यायसंगत उपलब्धता के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है।
- **श्रम बाजार में व्यवधान:** कुछ कामगारों की जगह AI के उपयोग से वे विस्थापित हो सकते हैं। इसके लिए शिक्षा में निवेश और श्रम बाजार संबंधी बेहतर एवं सक्रिय नीतियों की आवश्यकता है, ताकि कामगारों को अनुकूलन में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

AI और व्यापार की समावेशी क्षमता को साकार करने के लिए, सक्रिय एवं समन्वित नीतियों की आवश्यकता है। इसमें डिजिटल अवसंरचना और कौशल में निवेश करना, विनियामक समानता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और WTO जैसे संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना शामिल होना चाहिए।

यूएन वीमेन ने "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2025" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से **UN वीमेन और UN-DESA (संयुक्त राष्ट्र-आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग)** ने जारी की है। इसमें सभी **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मामले में वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति का विस्तृत परिदृश्य** प्रस्तुत किया गया है।

जेंडर स्नैपशॉट, 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **गरीबी और खाद्य सुरक्षा:** 37.6 करोड़ महिलाएं यानी **विश्व की 9.2% महिलाएं चरम गरीबी में** जीवन जी रही हैं। **एनीमिया के प्रसार में 2030 तक 33% तक की वृद्धि** का अनुमान है।
- **स्वास्थ्य:** मातृ मृत्यु दर में **2000–23 के बीच 39% की कमी** आई है। हालांकि, महिलाएं पुरुषों की तुलना में **औसतन 3 वर्ष अधिक खराब सेहत** के साथ जीवन बिताती हैं।
- **शिक्षा:** नामांकन के मामले में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं हैं। हालांकि, **अफ्रीका और एशिया में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में वे पिछड़** जाती हैं। बहुत कम महिलाएं स्कूल में प्रधानाध्याक के पद पर पहुंच पाती हैं।
- **नेतृत्व और कार्य:** संसद में **महिलाओं की भागीदारी 27%** है और **30% प्रबंधन पदों** पर महिलाएं कार्यरत हैं।
- **लैंगिक हिंसा:** 12.5% महिलाएं अपने नजदीकी साथी द्वारा **हिंसा** की शिकार होती हैं और **19% लड़कियों** की शादी **18 वर्ष की आयु से पहले** हो जाती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** 65% महिलाएं **इंटरनेट** से जुड़ी हुई हैं, जबकि पुरुषों में यह औसत 70% है। **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन** की वजह से **महिलाओं की नौकरियां अधिक खतरे** में हैं।
- **जलवायु और संसाधन:** जलवायु परिवर्तन की वजह से **15.8 करोड़ और अधिक महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे** जा सकती हैं। **89.6 करोड़ महिलाओं के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं** है।
- **शांति और सुरक्षा:** 2024 में **67.6 करोड़ महिलाएं प्राण-घातक संघर्ष** वाले क्षेत्रों में रह रहीं थीं।
- **इंटरसेक्शनैलिटी:** दिव्यांग महिलाओं को प्रजनन अधिकार, इंटरनेट से जुड़ने और राजनीतिक भागीदारी में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा के तहत प्राथमिक कार्य-योजना

- **डिजिटल क्रांति:** पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना चाहिए।
- **गरीबी से मुक्ति:** सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा और केयर-इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना चाहिए।
- **हिंसा से मुक्ति:** मजबूत कानून बनाकर और सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना चाहिए।
- **निर्णय लेने में महिलाओं को समान अधिकार:** राजनीति और शासन में महिला-नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए।
- **शांति और सुरक्षा:** 'महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा' को पूर्ण वित्त-पोषण प्रदान करना चाहिए, तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **जलवायु न्याय:** जलवायु कार्य-योजना और संसाधन पर अधिकारों के मामले में महिलाओं के पक्ष को शामिल करना चाहिए।

जलवायु संबंधी चरम घटनाएं भारतीय हिमालयी क्षेत्र की आपदा के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि को उजागर कर रही हैं

2025 के मानसून ने **जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड** को काफी प्रभावित किया है। इसने **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में आपदा प्रबंधन** के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

आपदाओं के प्रति भारतीय हिमालयी क्षेत्र की अधिक सुभेद्यता के कारण

- **भूविज्ञान और टेक्टोनिक्स:** हिमालय एक **युवा एवं वलित** पर्वत है, जिसमें निरंतर विवर्तनिकी या टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं। इसलिए, यह क्षेत्र भूकंप (**भूकंपीय जोन IV और V**) एवं भूस्खलन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बन जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभाव:** इसके कारण तापमान एवं वर्षा के पैटर्न में बदलाव और परिवर्तनशीलता के चलते तीव्र वर्षा, बादल फटना और हिमस्खलन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उदाहरण के लिए- **उत्तराखंड में 2013 व 2025 में बाढ़ की घटनाएं।**
- **मानव-जनित कारक:** इसमें सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएं, नदी तटों और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण, आदि शामिल है।
- **भूमि के उपयोग में परिवर्तन:** इसमें मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के कारण मृदा अपरदन में तेजी आना और विभिन्न परियोजनाओं (जैसे टिहरी बांध) के कारण पर्वतीय ढलान का अस्थिर हो जाना शामिल है।
- **अन्य:** इसके तहत कम अनुकूलन क्षमता, हिमनदों व पर्माफ्रॉस्ट का तेजी से पिघलना, हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOFs) आदि शामिल हैं।

आपदा संबंधी कार्रवाई की मौजूदा संस्थागत क्षमता

- **बहु-एजेंसी समन्वय और क्षेत्रीय कार्यान्वयन:** NDMA, NDRF, राज्य आपदा प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और IMD के बीच सहयोग, जैसा कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के दौरान देखा गया।
  - थल सेना, वायु सेना और ITBP ने कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी राहत एवं बचाव कार्य किए हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ड्रोन्स, सैटेलाइट संचार, OneWeb लिंक, डॉपलर रडार आदि का रोकथाम, पता लगाने और कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है।
- **समुदाय आधारित तैयारी:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का '**आपदा मित्र**' कार्यक्रम।
- **रिस्क इंडेक्सिंग:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने **हिमनदीय झीलों के जोखिम सूचीकरण के लिए मानदंड** (Criteria for Risk Indexing of Glacial Lakes) को भी अंतिम रूप दे दिया है।

आपदा का सामना करने के लिए बेहतर तैयारी हेतु आगे की राह

- **निगरानी:** राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre: NRSC) द्वारा 24×7 आधार पर हिमनदीय झीलों और मलबे के प्रवाह की निगरानी करनी चाहिए।
- **मानचित्रण:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा मृदा की जल सोखने की क्षमता और ढाल प्रवणता के आधार पर भूस्खलन के मानचित्रण का विस्तार करना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी:** AI स्थानीयकृत हाइड्रो-मेट डेटा के साथ आकस्मिक बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकती है (शहरी बाढ़ नियंत्रण का गोरखपुर मॉडल)।
- **अन्य:** सड़कों और नदी तटबंधों के लिए ढलान स्थिरीकरण एवं अग्रिम चेतावनी के लिए **सचेत ऐप** का उपयोग करना चाहिए।

यूरोपीय संघ (EU) ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 'नए रणनीतिक EU-भारत एजेंडे' का प्रस्ताव किया

यह एजेंडा **यूरोपीय आयोग और हाई रिप्रेजेन्टेटिव** द्वारा स्वीकृत **संयुक्त संचार (Joint Communication)** में रेखांकित किया गया है। यह एजेंडा EU और भारत की साझेदारी के लक्ष्यों के लिए **पांच प्रमुख रणनीतिक स्तंभों** पर आधारित है।

पांच रणनीतिक स्तंभ निम्नलिखित हैं

- **समृद्धि और संधारणीयता:** यह स्तंभ आर्थिक संवृद्धि, रोजगार के अवसरों के सृजन, औद्योगिक विकास और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देगा।
  - **व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना:** 2025 के अंत तक **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** को अंतिम रूप दिया जाएगा और **निवेश सुरक्षा समझौता (IPA)** भी संपन्न किया जाएगा।
  - **आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना:** इसके लिए **व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, **EU-भारत सेमीकंडक्टर समझौते** को भी लागू किया जाएगा।
  - **स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और आपदा-रोधी बनाने की दिशा में प्रगति: इस्पात व सीमेंट** जैसे भारी उद्योगों का **डीकार्बोनाइजेशन** किया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** उन नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो सभी के लिए उपलब्ध हों, सुरक्षित हों और मानव-केंद्रित नवाचार सुनिश्चित करें।
  - **अति महत्वपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: EU-इंडिया इनोवेशन हब** स्थापित किया जाएगा।
  - **अनुकूल डिजिटल परिवेश को बढ़ावा देना:** सेवा वितरण हेतु **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के क्षेत्र में सहयोग को समर्थन दिया जाएगा।
  - **अनुसंधान में सहयोग को प्रोत्साहित करना: परमाणु ऊर्जा और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER)** में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **सुरक्षा और रक्षा:** वैश्विक सुरक्षा के समक्ष खतरों, भू-राजनीतिक तनावों और तकनीकी परिवर्तनों से जुड़ी चिंताओं का समाधान किया जाएगा।
  - **उदाहरण के लिए-** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय और नियम-आधारित सामुद्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे:** अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अन्य देशों (जैसे- अफ्रीकी देश) में सहयोग बढ़ाया जाएगा और ग्लोबल गवर्नेंस में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
  - **उदाहरण के लिए** - EU के **ग्लोबल गेटवे** और भारत के **महासागर (MAHASAGAR)** सिद्धांत के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना।
    - "**महासागर**/ MAHASAGAR" यानी "**क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति।**"
- **सभी स्तंभों में साझे सहयोग के क्षेत्र:** एक देश से दूसरे देश में **कुशल लोगों के आवागमन** को बढ़ावा देना; ज्ञान का आदान-प्रदान करना; व्यवसायों के बीच सहभागिता और संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आदि।
- EU ने यह भी रेखांकित किया है कि भारत के **रूस के साथ सैन्य अभ्यास और रूसी तेल की खरीद** EU व भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में बाधक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश से आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की

आदि कर्मयोगी अभियान क्या है?

- **इसके बारे में:** यह **विकेन्द्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और गवर्नेंस इकोसिस्टम बनाने** के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
- **मंत्रालय:** यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** की प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य और लक्ष्य :**
  - इसका उद्देश्य **विश्व में जमीनी स्तर का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व वाला मिशन** बनकर **1 लाख गांवों के 11 करोड़ जनजातीय लोगों को सशक्त बनाना है।**
  - इसका लक्ष्य **जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के 20 लाख अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और जनजातीय युवाओं** को आदि कर्मयोगी (जमीनी स्तर के नेता) के रूप में तैयार करना है। इससे **उत्तरदायी शासन और प्रत्येक व्यक्ति तक सेवाओं एवं योजनाओं की पहुंच** सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **नेतृत्व के तीन स्तंभ**
  - **आदि कर्मयोगी (सरकारी अधिकारी):** ये राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर शासन के प्रमुख संचालक होते हैं। ये योजनाओं के समन्वय, संस्थागत समर्थन एवं उत्तरदायी वितरण को सुनिश्चित करते हैं।
  - **आदि सहयोगी (युवा, शिक्षक व डॉक्टर):** ये अभिप्रेरित सेवा प्रदाता और शिक्षित जनजातीय युवा होते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता व नवाचार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
  - **आदि साथी (SHG के सदस्य, ग्रामीण, जनजातीय बुजुर्ग):** ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले और समुदाय के मार्गदर्शक होते हैं। ये लोगों को संगठित करते हैं, परंपराओं का संरक्षण करते हैं और स्थानीय ज्ञान को बरकरार रखते हैं।

शुरू की गई पहलें

- **आदि वाणी ऐप:** सरकारी अधिकारियों को जनजातीय समुदायों के साथ उनकी मूल भाषाओं में जोड़ने के लिए **एआई-आधारित भाषा सेतु** का उपयोग किया जाएगा ।
- **आदि कर्मयोगी पोर्टल**
  - वास्तविक समय पंजीकरण और डैशबोर्ड के लिए;
  - कर्मयोगियों, सहयोगियों और साथियों की भूमिका-वार एवं क्षेत्र-वार ट्रैकिंग;
  - सिंगल विंडो शिकायत निवारण के रूप में आदि सेवा केंद्र आदि।

- **जनजातीय ग्राम कार्य योजना: ग्रामीण लोग और अधिकारी मिलकर जनजातीय ग्राम विज़न 2030** का निर्माण करेंगे। यह सतत विकास लक्ष्यों और समावेशी विकास के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना चाहिए।
- **समन्वय या अभिसरण: पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA 2.0)** जैसी योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा।

अन्य सुर्खियां

यूरेशियन आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union)

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा यूरोपीय आर्थिक आयोग के वाणिज्य मंत्री ने नवंबर से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ **अर्ली-हार्वेस्ट FTA** के प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया।

- **अर्ली-हार्वेस्ट FTA** दो व्यापारिक भागीदारों के बीच पूर्ण FTA संपन्न होने के पहले किए जाने वाले समझौते होते हैं। ये FTA के लागू होने से पहले ही कुछ निश्चित वस्तुओं पर प्रशुल्कों को कम कर देते हैं।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बारे में

- यह **यूरेशियन आर्थिक संघ संधि** के तहत स्थापित एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करना है।
- **सदस्य देश:** आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता और सहयोग को बढ़ाना, तथा सदस्य-देशों के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना है।

पेमेंट एग्रीगेटर्स

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशा-निर्देश** जारी किए हैं ताकि उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को मजबूत किया जा सके और धोखाधड़ी से निपटा जा सके।

पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) के बारे में

- दरअसल यह ग्राहकों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं या निवेश उत्पादों की खरीद के लिए व्यापारियों के इंटरफेस (फिजिकल/वर्चुअल) के माध्यम से पेमेंट के विभिन्न तरीकों (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट) को **एक ही प्लेटफार्म पर जोड़कर व्यापारी को देता है।** पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण हैं: पेटीएम, गूगल पे, पेपाल, आदि।
- **यह कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था है।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, **नॉन-बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स** के लिए **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय

युक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र **अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग** की रिपोर्ट में **नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय (Genocide Convention)** के संबंध में **गाजा में इजरायल की कार्रवाई का कानूनी विश्लेषण** प्रस्तुत किया गया है।

- इस अभिसमय को **जेनोसाइड कन्वेंशन** भी कहा जाता है।

जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में

- इसके अनुसार "किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई" **नरसंहार** है।
  - नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो **युद्ध और शांति, दोनों समय में घटित हो सकता है।**
- **पक्षकार:** 41 हस्ताक्षरकर्ता और **153 पक्षकार** देश हैं।
  - भारत ने **1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर** किया और **1959 में इसकी अभिपुष्टि** की।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** इस अभिसमय की व्याख्या और लागू करने से संबंधित मामलों का न्याय-निर्णयन करता है।

मल्टी-डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप

केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने **भारतीय मल्टी-डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप (MDP)** फर्म्स की स्थापना पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मल्टी-डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप (MDP) के बारे में

- यह साझेदारी का एक ऐसा रूप है जो **एक ही जगह** कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे- **कॉस्ट रिकॉर्ड का रखरखाव, लेखांकन, लेखा-परीक्षण, आश्वासन, प्रबंधन आदि।**
- **वर्तमान नियम** अलग-अलग विषय-क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को **एक ही फर्म के तहत मिलकर कार्य करने से रोकते हैं।**
- **महत्व:** यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो MDP फर्म **240 बिलियन डॉलर के वैश्विक बाज़ार का लाभ उठा सकती हैं तथा एनवायर्नमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) पर सलाहकारी तथा तकनीकी सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं।**

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने EVM बैलेट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने लायक बनाने के लिए **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49B** में संशोधन किया है।

- अब **EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें दिखाई जाएंगी।** इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49B के बारे में

- यह **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत व्यापक कानूनी प्रावधान है, जो भारत में चुनावों के संचालन को प्रशासित करता है।
- इन नियमों में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हैं:
  - मतदान, वोट डालने और मतगणना के लिए प्रक्रियाएं।
  - चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों आदि की ज़िम्मेदारियां।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) में ठेकेदारों की अनधिकृत भागीदारी को रोकने के लिए उनकी पात्रता से जुड़े मानदंडों को सख्त कर दिया है।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के बारे में

- **परिचय:** यह 2016 में शुरू किया गया। यह **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल** है, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में किया जाता है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **फंडिंग:** निर्माण के दौरान **सरकार 40% राशि** पाँच किस्तों में (माइलस्टोन के आधार पर) देती है, जबकि निजी डेवलपर 60% राशि कर्ज और इक्विटी से जुटाता है।
  - **नुकसान-साझा करने की व्यवस्था:** इसमें किसी प्रकार के नुकसान का भार सभी पर डाला जाता है; जैसे **राजस्व से जुड़े नुकसान सरकार वहन करती है,** जबकि **वित्तीय नुकसान निजी डेवलपर वहन करता है।**

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान

हाल ही में, प्रधान-मंत्री ने **'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान** की शुरुआत की।

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' के बारे में

- इस अभियान के तहत देशभर में **एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर** लगाए जाएंगे। इनमें महिलाओं में **एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर** की जांच होगी। साथ ही, **टीकाकरण और पोषण** पर सलाह देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
- **शामिल मंत्रालय:** यह अभियान **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा केंद्रीय **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की संयुक्त पहल है।
- **तकनीक: सशक्त (SASHAKT) पोर्टल** के जरिए इस दिशा में प्रगति पर नजर रखी जाएगी और रियल टाइम में जवाबदेही तय होगी।
- **समुदाय की भागीदारी:** आंगनवाड़ी, निक्षय मित्र, निजी अस्पताल आदि भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे।

वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कर्ज का कोई डिफॉल्टर तभी **वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम** का लाभ ले सकता है, जब वह बैंक की सभी शर्तों को पूरा करें।

वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के बारे में

- **शुरुआत:** RBI ने 2005 में इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बैंकों पर है।
- **उद्देश्य:** सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को **लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्रक के पुराने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) से निपटने के लिए** मानकीकृत दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- **प्रक्रिया:** एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था, जिसमें **कम-से-कम 25% राशि तुरंत जमा** करनी होती है और बाकी राशि किस्तों में एक साल के अंदर चुकानी होती है।
- **महत्व:**
  - **बैंकों को जल्दी बकाया वसूली करने** और बैलेंस शीट साफ रखने में मदद मिलती है।
  - **कर्जदारों** को कानूनी कार्रवाइयों से **राहत** मिलती है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

NEWS

मोजाम्बिक (राजधानी: मापुटो)

भारत और मोजाम्बिक के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोजाम्बिक पहुंचा।

भौगोलिक अवस्थिति

- **स्थिति:** दक्षिण-पूर्व अफ्रीका में।
- **स्थलीय सीमाएं:** इसकी सीमाएं उत्तर में **तंजानिया,** दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में **साउथ अफ्रीका और एस्वातिनी** (पुराना नाम स्वाज़ीलैंड), पश्चिम में **जिम्बाब्वे** तथा उत्तर-पश्चिम में **जाम्बिया और मलावी** से लगती हैं।
- **निकटवर्ती जल निकाय:** पूर्व में **मोजाम्बिक चैनल** (हिंद महासागर में); उत्तर-पश्चिम में **न्यासा झील।**

भौगोलिक विशेषताएं

- **मौसम:** उष्णकटिबंधीय और आर्द्र।
- **प्रमुख नदियां:** ज़ांबेज़ी, लिम्पोपो, सावे, रुवुमा, आदि।
- **सबसे ऊँचा पर्वत:** मोंटे बिंगा।